तकनीकी बिड

डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

निविदा–प्रपत्र

निविदा मूल्य : 500 रुपये

निविदा का नाम	विश्वविद्यालय के विभिन्न परिसरों के विभागों में उपलब्ध निष्प्रयोज्य उपकरण, फर्नीचर, लोहा स्क्रैप इत्यादि की नीलामी हेतु ।
ठेकेदार/फर्म का नाम	.....
	.....
दूरभाष नम्बर	.....
पार्टनरशिप/प्रोपराइटरशिप	.....
पत्र व्यवहार का पता	.....
	.....
अर्नेस्टमनी	रुपये 15,000/– मात्र (रूपये पन्द्रह हजार मात्र) बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट/एफ.डी.आर. ..... दिनांक ..... बैक का नाम .....
निविदा प्रपत्र वेबसाइट से डाउनलोड की तिथि	05 जनवरी, 2017 से
निविदा प्रपत्र की हार्डकॉपी स्वीकार की अंतिम तिथि	18 जनवरी, 2017 अपरान्ह 3.00 बजे
निविदा खुलने की तिथि व समय–	18 जनवरी, 2017 अपरान्ह 3.30 बजे
निविदा का विवरण	मैं/हम ..... फर्म का नाम ..... प्रोपराइटर/पार्टनर ..... निविदा के साथ संलग्न लिस्ट पर दी गई दरों पर कार्य करने को सहमत हूँ। ..... (हस्ताक्षर निविदादाता) पता ..... टेलीफोन/मोबाइल नं0 ..... व्यापार कर रजिस्ट्रेशन सं0 ..... दिनांक..... आयकर पैन नम्बर .....

नोट–

वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ टेण्डर अभिलेख निर्धारित तिथि व समय तक निविदा मूल्य रूपये 500/– के डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक (निविदा मूल्य जो वापस नहीं होगा) एवं धरोहर राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट/ एफ.डी.आर. के साथ जो ''वित्त अधिकारी, डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा'' के पक्ष में देय हो, के साथ जमा करना अनिवार्य होगा ।

भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

घोषणा–पत्र

निविदा सम्बन्धी समस्त नियम व शर्तों के अन्तर्गत मैं श्री ..... पार्टनर/प्रोपराइटर निवासी ..... फर्म का नाम ....विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय के विभिन्न परिसरों के विभागों में उपलब्ध निष्प्रयोज्य उपकरण, फर्नीचर, लोहा स्क्रैप इत्यादि की नीलामी हेतु निविदा की दरें संलग्न कर रहा हूँ । अर्नेस्टमनी का एफ.डी.आर. संख्या .....दिनांक ..... रूपये .....बैंक का नाम .... जो वित्त अधिकारी डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के नाम बन्धक है इस निविदा के साथ संलग्न कर रहा हूँ मैंने निविदा सम्बन्धी नियम व शर्तें भली भॉति पढ़ लिया है तथा मुझे निविदा की सभी शर्तें मान्य हैं। यदि मैं निर्धारित समय के अन्दर ठेके की कार्यवाही नियमानुसार यथा जमानत राशि, इकरारनामा आदि पूर्ण करने में असफल रहूँ तो मेरे बयाने की राशि जब्त कर ली जाय। इन नियमों एवं शर्तों का मैं पूर्ण रूपेण परिपालन करूँगा तथा उसके विरुद्ध मैं किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही करने का अधिकारी नहीं रहूँगा।

एतद्द्वारा मैं घोषणा करता हूँ कि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी शर्तें एवं नियम मुझे बिना किसी आपत्ति के स्वेच्छा से स्वीकार हैं। सभी विवादों में कुलपति महोदय डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा द्वारा किये गये समस्त निर्णय मुझे मान्य होंगे।

गवाह–

हस्ताक्षर एवं पता

.....

हस्ताक्षर एवं पता .....

.....

दिनांक– .....

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदादाता का नाम .....

.....

फर्म से सम्बन्ध .....

पूरा पता .....

मोबाइल नं0 .....

नोट–

1– निविदा की तीन प्रतियॉ मिलेंगी ।

2– दो प्रतियॉ विश्वविद्यालय में (प्रथम पर मूल व द्वितीय पर डुप्लीकेट प्रति अंकित कर) निर्धारित दिनांक एवं समय तक जमा होंगी ।

3– निविदा के साथ रूपये 100/– का नॉन जुडीशियन स्टाम्प पेपर संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

वित्तीय विड

डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

विश्वविद्यालय के विभिन्न परिसरों के विभागों में उपलब्ध निष्प्रयोज्य उपकरण, फर्नीचर, लोहा स्क्रैप इत्यादि की नीलामी हेतु –

मैं हम ..... (प्रोपराइटर/पार्टनर)

प्रो0 मैसर्स .....

स्थित/निवासी .....

1– विश्वविद्यालय के विभिन्न परिसरों (मुख्य, खन्दारी, छलेसर, सिविल लाइन्स) के विभिन्न विभागों में जहॉ है जैसा है के आधार पर उपलब्ध निष्प्रयोज्य उपकरण, फर्नीचर, लोहा स्क्रैप इत्यादि की नीलामी हेतु सभी विभागों के प्रभारी/विभागाध्यक्ष के द्वारा अवगत करायी गयी निष्प्रयोज्य सामग्री का आंकलन कर लिया गया है । विभागवार निष्प्रयोज्य सामग्री का क्रय मूल्य इस प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जा रहा है ।

2– लोहा स्क्रैप जहॉ है जैसे के आधार पर क्रय मूल्य –

प्रति किलो रूपये .....(शब्दों में .....)

सभी प्रकार के टैक्स भुगतान का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा ।

परिसर में सभी निष्प्रयोज्य सामग्री, लोहा स्क्रैप विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय में हटवा लिया जायेगा ।

संलग्नक–

दिनांक– निविदादाता का हस्ताक्षर व नाम

फर्म की मुहर

डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

निविदा सम्बन्धी नियम एवं शर्तें

1. विश्वविद्यालय के विभिन्न परिसरों के विभागों में उपलब्ध निष्प्रयोज्य उपकरण फर्नीचर, लोहा स्क्रैप इत्यादि की नीलामी हेतु कार्य के अनुभवी फर्म से निविदायें आमंत्रित की जा रही हैं । फर्म/ठेकेदार के द्वारा विश्वविद्यालय के स्टोर प्रभारी एवं विश्वविद्यालय अभियन्ता से सम्पर्क कर सभी परिसरों में उपलब्ध निष्प्रयोज्य सामग्री को सम्बन्धित प्रभारी/विभागाध्यक्ष की देखरेख में देखकर आंकलन कर दर प्रस्तावित करें । विश्वविद्यालय द्वारा आंकलन के आधार पर ठेके की प्रस्तावित क्रय मूल्य की धनराशि न्यूनतम प्राप्त होने पर अधिकतम धनराशि हेतु समिति द्वारा निगोशिएशन किया जायेगा । लोहा स्क्रैप बजन/भार तौलने के लिए प्रमाणित कॉटा/तराजू ठेकेदार को स्वयं को लाना होगा । भार माप का परीक्षण एवं लोहा स्क्रैप का भार विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति के समक्ष किया जायेगा । विश्वविद्यालय परिसर से निष्प्रयोज्य सामग्री समिति के सभी सदस्यों की लिखित सहमति के पश्चात् ही परिसर से बाहर ले जाया जायेगा । कार्यादेश जारी होने के उपरान्त निर्धारित समय में समस्त कार्य को पूर्ण कराना अनिवार्य होगा ।

2. विश्वविद्यालय द्वारा यदि यह पाया गया कि फर्म द्वारा शर्तो का उल्लंघन कर किसी प्रकार की हानि पहुॅचाई जाती है अथवा कार्य में देरी की जा रही है तो ठेका निरस्त कर दिया जायेगा तथा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी ।

3. निविदादाता के कार्य के दौरान यदि कोई घटना घटित होती है, यथा जनहानि, अथवा विश्वविद्यालय के भवन सम्पत्ति आदि की क्षति होती है इसका पूर्ण उत्तरदायित्व ठेकेदार का ही होगा । इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा कोई भी क्षतिपूर्ति नहीं की जायेगी ।

4. यदि निविदा फर्म के नाम होगी तो फर्म का रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप ऐक्ट/कम्पनी ऐक्ट तथा व्यापार कर आयकर एवं कार्य के अनुभव का उल्लेख तथा समर्थन में अनुभव प्रमाण–पत्र व (केन्द्रीय व राज्य) वैट अधिनियम आदि तथा हस्ताक्षरकर्ता के नाम फर्म का मुख्तारनामा (पावर ऑफ अटार्नी) लगाना अनिवार्य व आवश्यक होगा।

5. जिस कार्य की दरें दी जा रही हैं वे उत्तम क्वालिटी की होनी चाहिये अगर ठेकेदार/फर्म द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो अन्य श्रोतों से निविदा में वर्णित कार्य/आपूर्ति गुणवत्ता के आधार/स्रोतों पर करा लिया जायेगा। कुलपति या उनके प्रतिनिधि का फैसला निविदादाता को मान्य होगा और उस फैसले के विरुद्ध निविदादाता को किसी प्रकार की कार्यवाही करने का अधिकार नहीं होगा।

6. जिस कार्य के लिए ठेका दिया गया है उसे उसे संतोषजनक किया जाना निविदादाता का उत्तरदायित्व होगा। इसके लिए किसी भी प्रकार का भाड़ा/परिवहन व्यय विश्वविद्यालय द्वारा नहीं दिया जायेगा।

7. सामग्री के परिवहन के समय टैक्स से छूट के लिए यदि किसी प्रकार के फार्म/लाइसैन्स/फीस की आवश्यकता होती है, तो वह निविदादाता द्वारा व्यवस्था की जायेगी।

8. ठेके की स्वीकृति पर कुलपति जी का फैसला अन्तिम होगा। निविदा देने वाले व्यक्ति को आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

9. बजट की धनराशि को बढ़ाने एवं घटाने इत्यादि हेतु विश्वविद्यालय का सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा।

10. अगर निविदादाता निविदा स्वीकृति होने के बाद ठेका छोड़ देता है तो उसकी जमानत की धनराशि जब्त कर विश्वविद्यालय कोष में जमा करा दी जायेगी। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय को घटित क्षति के लिये उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही भी की जा सकेगी।

11. फर्म/ठेकेदार के नाम से जो ठेका स्वीकृति किया जायेगा वह किसी भी दशा में किसी अन्य फर्म/ठेकेदार को स्थानान्तरित नहीं करेगा। यदि फर्म/ठेकेदार ऐसा करते है तो उनका ठेका निरस्त समझा जायेगा तथा उनकी जमानत राशि को जब्त करके विश्वविद्यालय कोष में जमा करा दिया जायेगा।

12. ठेके की स्वीकृत दरें तब तक वैध मानी जायेगी जब तक कार्य का पूर्ण निस्तारण नहीं हो जाता है, तब तक उन्हीं दरों पर कार्य/आपूर्ति कराया जा सकता है। इस पर निविदादाता फर्म को कोई एतराज नहीं होगा।

13. इस निविदा के माध्यम से स्वीकृत दरें सामान्य परिस्थिति में निविदा स्वीकृत तिथि से कार्य समाप्ति तक मान्य होंगी। किन्तु विशेष परिस्थितियों में यदि अगली निविदा की दरें समयावधि पूर्ण होने पर स्वीकृत नहीं हो पाती हैं तो आगे भी इन्हीं दरों पर कार्य कराया जा सकता है । किन्तु दोनों पक्षों को यह स्वतन्त्रता होगी कि वे कम से कम तीन माह की नोटिस देकर अपने को इस शर्त से अलग कर सकते हैं।

14. फर्म/ठेकेदार दर पर उद्धृत करने वाली अथवा अन्य फर्म/ठेकेदारों से न्यूनतम दर प्रस्तावित करने वाली फर्म/ठेकेदार के पास यदि कार्य का अनुभव नहीं है, अथवा उसका प्रस्ताव स्पष्ट नहीं है, अथवा उसके द्वारा प्रस्तावित सामग्री का नमूना गुणवत्तायुक्त नहीं है, तो द्वितीय फर्म/ठेकेदार को न्यूनतम वार्तानुसार ठेका देने के लिये विश्वविद्यालय स्वतन्त्र होगा।

15. अगर निविदादाता निविदा स्वीकृति हो जाने के उपरान्त निविदा संबंधी कार्यवाही जैसे सिक्योरिटी धनराशि, अनुबन्ध आदि की कार्यबाही निर्धारित समय के अन्दर पूर्ण नहीं करता है तो उसकी निविदा को निरस्त मानते हुए अर्नेस्टमनी की धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा। निर्धारित समय एवं दिनांक के बाद प्राप्त होने वाली निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा चाहे विलम्ब पोस्ट आफिस/कोरियर की गलती के कारण हुआ हो।

.....2

16. (क) निविदा प्रपत्र तीन प्रतियों में उपलब्ध है जिसमें से 2 प्रतियों में भरकर पृथक–पृथक लिफाफों में जमा करना होगा। जिस लिफाफे में तकनीकी विड एवं वित्तीय विड रखे जायेंगे उस लिफाफे पर क्रमशः ''मूल प्रति'' तथा दूसरे लिफाफे पर ''डुप्लीकेट प्रति'' अंकित किया जाय। निविदा प्रपत्र की एक प्रति निविदादाता की व्यक्तिगत प्रति होगी।

(ख) तकनीकी विड एवं वित्तीय विड अलग–अलग लिफाफों में सील कर दोनो को एक बड़े लिफाफे में रख कर सील करने के उपरान्त ही स्वीकार किया जायेगा ।

(ग) तकनीकी बिड वाले लिफाफे में केवल कार्य के अनुभव प्रमाण–पत्र, अर्नेस्टमनी की धनराशि की एफ.डी. आर. एवं क्रमांक 2 के अनुसार रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, पावर आफ एटार्नी आदि तथा सैम्पल होंगे उस पर''तकनीकी विड'' अवश्य लिखा जाये।

(घ) जिस लिफाफे में ठेके की दरें प्रस्तावित होंगी उस पर वित्तीय बिड लिखा जाय।

17. स्पेसीफिकेशन एवं गुणवत्ता वांछित स्तर की होनी आवश्यक है। तकनीकी जानकारी विश्वविद्यालय के अभियन्ता विभाग से प्राप्त की जा सकती है।

18. कुलपति जी को यह अधिकार होगा कि वह एक या समस्त निविदा को वगैर कोई कारण बताए निरस्त/स्वीकृत कर सकते हैं ऐसी स्थिति में फर्म/ठेकेदारों को किसी भी प्रकार की आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा।

19. दोनों पक्षों में कोई विवाद होने पर कुलपति जी ही आरबिट्रेटर होंगे जिनका निर्णय अन्तिम होगा तथा दोनों पक्षों को मान्य होगा।

20. निविदादाता/फर्म को स्टाम्प अधिनियम तथा इसके सापेक्ष समय–समय पर निर्गत शासनादेशों के अन्तर्गत नियमानुसार स्टाम्प शुल्क अदा करना होगा।

21. निविदा खोलने की तिथि से 90 दिवस तक वैध मानी जायेगी ।

22. समयबद्ध रूप से कार्य संपादित न करने अथवा असंतोषजनक/गुणवत्ता युक्त कार्य न करने पर विश्वविद्यालय को किसी रूप में भी पैनल्टी लगाने का पूर्ण अधिकार होगा।

23. न्यायिक क्षेत्राधिकार आगरा ही होगा।

दिनांक–

हस्ताक्षर निविदादाता

पत्र व्यवहार का स्पष्ट पूरा पता

————————————————

————————————————

————————————————

दूरभाष नं0 ————————————

मोहर